क्रम-संख्या—200 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी०—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 26 नवम्बर, 2024

अग्रहायण 5, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य तथा रसद अनुभाग—6

संख्या 1925/29-6—2024-135सा-2015

लखनऊ, 26 नवम्बर, 2024

अधिसूचना

प0आ0—319

चूंकि भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) ने जी0एस0आर0 213 (ई) दिनांक 20 मार्च, 2015 के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1955) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 जारी किया है;

और चूंकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के खंड 4, 9, 10, 11 और 12 के अनुसरण में, राज्य सरकार को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन राशन कार्ड, लाइसेंस का विनियमन, उचित मूल्य की दुकानों का विनियमन, उचित मूल्य की दुकानों का प्रचालन और अनुश्रवण, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा उससे सम्बंधित और आनुषंगिक मामलों के लिए आदेश जारी करने का अधिकार है;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना जी0एस0आर0—213 (ई) दिनांक 20 मार्च, 2015 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1955) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित आदेश देती हैं :—

उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) (तृतीय संशोधन) आदेश, 2024

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह आदेश उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) (तृतीय संशोधन) आदेश, 2024 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

खण्ड–8 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश, 2016 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड–8 के उपखण्ड (4) (तीन) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपखण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड**
8 (4) (तीन) राशन कार्ड धारकों के अभिलेखों अर्थात स्टॉक रजिस्टर, निर्गम या विक्रय रजिस्टर का अनुरक्षण खाद्य अधिकारी द्वारा विहित प्रारूप जिसके अंतर्गत अनुक्रमिक रीति में इलेक्ट्रानिक प्रारूप भी है; शामिल हैं।	8 (4) (तीन) उचित मूल्य की दुकान का स्वामी स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा। उक्त के अतिरिक्त आपवादिक एवं अपरिहार्य स्थितियों में, जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के पश्चात. मैनुअल वितरण (ई–पॉस मशीन के बिना) के समर्थन में तैयार किये गये निर्गम या बिक्री रजिस्टर का अनुरक्षण, खाद्य अधिकारी द्वारा विहित प्रारूप (जिसमें अनुक्रमिक रीति से इलेक्ट्रानिक प्रारूप भी सम्मिलित है) पर करना सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1925/XXIX-6–2024-135 Sa-2015, dated November 26, 2024:

No. 1925/XXIX-6–2024-135 Sa-2015

Dated Lucknow, November 26, 2024

WHEREAS the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) in exercise of powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Act no. 10 of 1955) has issued Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015, *vide* GSR 213(E) dated 20th March, 2015;

AND WHEREAS in pursuance of clauses 4, 9, 10, 11 and 12 of the Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015, the State Government is empowered to issue Order under section 3 of the aforesaid Act for regulating Ration Cards, licensing and regulation of fair price shops, operation and monitoring of fair price shops, ensuring transparency and accountability and for matters connected therewith and incidental thereto;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Act no. 10 of 1955) *read* with Notification no. GSR-213(E) dated 20th March, 2015 of the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution) and Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following Order with a *view* to amend the Uttar Pradesh Essential Commodities (Regulation of Sale and Distribution Control) Order, 2016, namely :-

THE UTTAR PRADESH ESSENTIAL COMMODITIES (REGULATION OF SALE AND DISTRIBUTION CONTROL) (THIRD AMENDMENT) ORDER, 2024

Short title, extent and commencement

1.(1) This Order may be called the Uttar Pradesh Essential Commodities (Regulation of Sale and Distribution Control) (Third Amendment) Order, 2024.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the official *Gazette*.

Amendment of clause 8

2. In the Uttar Pradesh Essential Commodities (Regulation of Sale and Distribution Control) Order, 2016 for the existing sub-clause (4) (iii) of clause 8 set out in Column-I below, the sub-clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I *(Existing sub-clause)*	COLUMN-II *(Sub-clause as hereby substituted)*
8 (4) (iii) maintenance of the records of ration card holders, e.g. stock register, issue or sale register shall be in the form prescribed by the State Government including in the electronic format in a progressive manner;	8 (4) (iii) fair price shop owner shall ensure the maintenance of stock register. Apart from the above, in exceptional and unavoidable situations, after the approval of the District Magistrate, the maintenance of issue or sales register prepared in support of manual distribution (without e-POS machine) shall be ensured on the format prescribed by the Food Officer (which also includes electronic format in progressive manner);

By order,
ALOK KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 372 राजपत्र–2024–(915)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 खाद्य तथा रसद–2024–(916)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।